दिनांक 11.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 15/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फतेहपुर/थाना धाता

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 11.08.2025 को थाना धाता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम डेंडासाही नहर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मनोज घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना धाता पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद कौशाम्बी, फतेहपुर के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना धाता पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मनोज निवासी अजना कबीर थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मुरादाबाद/थाना कोतवाली नगर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 06 लाख 71 हजार 410 रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः 11.08.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त अनिकेत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 06 लाख 71 हजार 410 रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनिकेत निवासी एकता कालोनी प्रीतमनगर लाईनपार थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1–चोरी के 06 लाख 71 हजार 410 रूपये नगद।

जनपद/थाना पिपराइच

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की पीली–सफेद (धातु) के आभूषण**
- **चोरी की 01 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनॉकः 11.08.2025 को थाना पिपराइच व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1–अयाज अहमद उर्फ बाबू 2–इरफान उर्फ मुन्ना 3–शमशेर उर्फ मामा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की पीली–सफेद (धातु) के आभूषण, चोरी की 01 दो पहिया वाहन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना पिपराइच क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पिपराइच पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना पिपराइच पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अयाज अहमद उर्फ बाबू निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर हालपता–साहबगंज मण्डी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।

2–इरफान उर्फ मुन्ना निवासी माहेलालपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर हालपता–पचपेड़वा मुर्तजा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर।

3–शमशेर उर्फ मामा निवासी मोहल्ला असगरगंज कसाई टोला थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर हालपता–अधियारी बाग इमामबाड़ा गेट नं0–02 थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की पीली–सफेद (धातु) के आभूषण।

2–चोरी की 01 दो पहिया वाहन।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 12 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 10.08.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम भाईपुरा से अनूपशहर रोड जाने वाले रास्ते पर शमशान के पास से अभियुक्त प्रमोद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 12 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—प्रमोद निवासी ग्राम रतनपुर थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 12 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस।

जनपद बस्ती/थाना परसरामपुर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तराष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 10 ग्राम अवैध मॉर्फीन**
- **घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार**
- **4200/—रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 10.08.2025 की रात्रि थाना परसरामपुर व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम पहाड़गंज मोड़ से आगे 02 अभियुक्तों 1—राम अधार 2—अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तराष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 10 ग्राम अवैध मॉर्फीन, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार, 4200/—रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना परसरामपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–राम अधार निवासी अरजानीपुर थाना परसरामपुर जनपद बस्ती।

2–अभियुक्ता

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 01 करोड़ रूपये (अन्तराष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 10 ग्राम अवैध मॉर्फीन।

2–घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार।

3–4200/–रूपये नगद।

4–01 मोबाइल फोन।

- **<u>जनपद रामपुर/थाना सैफनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 06 लाख रूपय अर्थदण्ड)</u>**

जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रामपुर द्वारा थाना सैफनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 06 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–दान सिंह को आजीवन कारावास व 06 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

- **<u>जनपद बागपत/थाना दोघट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना दोघट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रिषिपाल 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 35–35 हजार रूपये अर्थदण्ड व 3–अभियुक्त विक्की उर्फ विकास को धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना कोन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 16–16 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना कोन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/323/504/506/304 भादवि के अन्तर्गत 05 अभियुक्तों 1–अमेरिका 2–कुबेर 3–रमाशंकर 4–इन्दर 5–जबर सिंह को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 16–16 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

- **<u>कमिश्नरेट वाराणसी/थाना जंसा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय वाराणसी द्वारा थाना जंसा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मुकेश को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

————————